This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 08 अक्तूबर, 2024 / 16 आश्विन, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 20th August, 2024

No. TCP-F05/5/2023.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section (1) of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the

Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint **20th day of August month of 2024** as the date on which the provisions of the aforesaid Act shall come into force in the following revenue villages of District Kangra included in the **Baijnath-Paprola Planning Area** notified *vide* Notification TCP- F(5)-1/2014, dated 07.07.2014, namely:—

Sl. No.	Name of Revenue Village	Hadbast No.	Area in Hectare	Population (2011 Census)
1.	Sitala Devi	874	14	675
2.	Kunsal Uperli	873	41	552
3.	Kunsal Buhli	888	55	639
4.	Thara	1022	39	367
5.	Chakol	877	70	739
6.	Mandhol	1021	100	654
7.	Mahakal	1020	47	513
8.	Pansua	889	16	305
9.	Bheth Uperli	810	152	611
10.	Ghorpith	815	100	376
11.	Averi	784	251	4084
12.	Kukaina	783	26	489
	Total		**911**	**10,004**

Consequent upon the enforcement of the provisions of the act *ibid* in above Revenue Villages, now the provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), shall apply to the re-defined limits of **Baijnath-Paprola Planning Area** and total Revenue Villages over which provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) are enforced shall, now be as follows:—

Sl. No.	Name of Revenue Village	Hadbast No.	Area in Hectare	Population (2011 Census)	Remarks
1.	Kasba	871	88	1861	Panchayat Area
2.	Baijnath	870	70	2349	
3.	Gankheter	869	68	721	
4.	Ghartholi	1023	97	1956	
5.	Pandtehar	872	80	696	
6.	Ustehar	875	98	909	
7.	Paprola Khas	820	46	860	
8.	Kasba Paprola	822	58	1979	
9.	Kothi	823	142	1698	
10.	Jherkher	825	9	774	
11.	Khatrehar	829	22	958	
12.	Pandtehar	821	65	688	
13.	Nagan	826	64	835	
14.	Kharanal	819	123	660	
15.	Malgota	827	84	613	
16.	Bheth Jhikli	817	318	1715	
17.	Dhar Baggi	1025	273	233	
18.	Majehrna Khas	779	118	1016	
19.	Sitala Devi	874	14	675	
20.	Kunsal Uperli	873	41	552	

21.	Kunsal Buhli	888	55	639	
22.	Thara	1022	39	367	
23.	Chakol	877	70	739	
24.	Mandhol	1021	100	654	
25.	Mahakal	1020	47	513	
26.	Pansua	889	16	305	
27.	Bheth Uperli	810	152	611	
28.	Ghorpith	815	100	376	
29.	Averi	784	251	4084	
30.	Kukaina	783	26	489	
	Total		**2734**	**30,525**	

By order,

DEVESH KUMAR,
Principal Secretary (TCP).

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 20th August, 2024

No. TCP-F05/5/2023.—In exercise of the powers conferred by clause (a) sub-section (2) of Section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to include the following revenue Mohals of Distt. Kangra, in the **Baijnath-Paprola Planning Area**, already notified *vide* Notification TCP-F(5)-1/2014, dated 07-07-2014, namely:—

Sl. No.	Name of Revenue Village	Hadbast No.	Area in Hectare	Population (2011 Census)
1.	Sitala Devi	874	14	675
2.	Kunsal Uperli	873	41	552
3.	Kunsal Buhli	888	55	639
4.	Thara	1022	39	367
5.	Chakol	877	70	739
6.	Mandhol	1021	100	654
7.	Mahakal	1020	47	513
8.	Pansua	889	16	305
9.	Bheth Uperli	810	152	611
10.	Ghorpith	815	100	376
11.	Averi	784	251	4084
12.	Kukaina	783	26	489
	Total		**911**	**10,004**

Consequent upon inclusion of above revenue Mohals, the Governor of Himachal Pradesh is further pleased to re-define the limits of **Baijnath-Paprola Planning Area** as per specifications given below:—

SPECIFICATIONS

North—Starting from the boundary of Mohal Ghorpith (Hadbast No. 815), then following along the boundary of Mohal Bheth Uperli (Hadbast No. 810), Mohal Bheth Jhikli (Hadbast No. 817), Mohal Kharanal (Hadbast No. 819) and Mohal Malgota (Hadbast No. 827).

East—Starting from the boundary of Mohal Malgota (Hadbast No. 827), in continuity of the outer boundary of Mohal Gankheter (Hadbast No. 869) and Mohal Dhar Baggi (Hadbast No. 1025).

South—Starting from the boundary of Mohal Dhar Baggi (Hadbast No. 1025), Mohal Ghartholi (Hadbast No. 1023), Mohal Pandtehar (Hadbast No. 872), Mohal Thara (Hadbast No. 1022), Mohal Mandhol (Hadbast No. 1021), Mohal Mahakal (Hadbast No. 1020), Mohal Pansua (Hadbast No. 889), Mohal Kunsal Buhli (Hadbast No. 888), Mohal Chakol (Hadbast No. 877), Mohal Ustehar (Hadbast No. 875), Mohal Kothi (Hadbast No. 823) and upto eastern boundary of Mohal Majehrna Khas (Hadbast No. 779).

West—Starting from the boundary of Mohal Majehrna Khas (Hadbast No. 779), Mohal Kothi (Hadbast No. 823), Mohal Kasba Paprola (Hadbast No. 822), Mohal Pandtehar (Hadbast No. 821), Mohal Kukaina (Hadbast No. 783), Mohal Averi (Hadbast No. 784), Mohal Bheth Jhikli (Hadbast No. 817), Mohal Bheth Uperli (Hadbast No. 810) and upto the Northern boundary of Mohal Ghorpith (Hadbast No. 815)

The total revenue villages in **Baijnath-Paprola Planning Area** over which provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) are enforced shall, now be as follows:—

Sl. No.	Name of Revenue Village	Hadbast No.	Area in Hectare	Population (2011 Census)	Remarks
1.	Kasba	871	88	1861	Nagar Panchayat Area
2.	Baijnath	870	70	2349	
3.	Gankheter	869	68	721	
4.	Ghartholi	1023	97	1956	
5.	Pandtehar	872	80	696	
6.	Ustehar	875	98	909	
7.	Paprola Khas	820	46	860	
8.	Kasba Paprola	822	58	1979	
9.	Kothi	823	142	1698	
10.	Jherkher	825	9	774	
11.	Khatrehar	829	22	958	
12.	Pandtehar	821	65	688	
13.	Nagan	826	64	835	
14.	Kharanal	819	123	660	
15.	Malgota	827	84	613	
16.	Bheth Jhikli	817	318	1715	
17.	Dhar Baggi	1025	273	233	

18.	Majehrna Khas	779	118	1016	
19.	Sitala Devi	874	14	675	
20.	Kunsal Uperli	873	41	552	
21.	Kunsal Buhli	888	55	639	
22.	Thara	1022	39	367	
23.	Chakol	877	70	739	
24.	Mandhol	1021	100	654	
25.	Mahakal	1020	47	513	
26.	Pansua	889	16	305	
27.	Bheth Uperli	810	152	611	
28.	Ghorpith	815	100	376	
29.	Averi	784	251	4084	
30.	Kukaina	783	26	489	
	Total		**2734**	**30,525**	

By order,

DEVESH KUMAR,
Principal Secretary (TCP).

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 20th August, 2024

No. TCP-F05/5/2023.—Whereas some areas have been included in the **Baijnath-Paprola Planning Area** and its limits have been re-defined under clause (a) of sub-section (2) of Section-13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) *vide* Notification No. TCP-F05/5/2023 dated 20-08-2024;

And whereas existing land use of the newly included areas of the said Planning Area has not yet been published under sub-section (1) of Section 15 of the act *ibid.*

And whereas the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid newly included areas of the Planning Area, the change of land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips or protection against erosion and is likely to make it difficult to plan and develop the areas in question in accordance with the provisions of the aforesaid Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing land use of the newly included areas of the **Baijnath-Paprola Planning Area** from the date of the publication of this notification in the Official Gazette of Himachal Pradesh for a period of **five years.**

By order,

DEVESH KUMAR,
Principal Secretary (TCP).

समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 10—10—2024

श्री मनजीत सिंह पुत्र श्री काली दास पुत्र प्रधान सिंह, निवासी गांव गदयाडा, डा0 गोलवां, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम।

दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

श्री मनजीत सिंह पुत्र श्री काली दास पुत्र प्रधान सिंह, निवासी गांव गदयाडा, डा0 गोलवां, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में दिनांक 10—09—2024 को प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना—पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम मनजीत सिंह है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल गदयाडा में मनजीत दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना—पत्र के समर्थन में आवाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्वघोषणा पत्र, परिवार नकल, शिक्षा प्रमाण—पत्र व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल गदयाडा में प्रार्थी का नाम मनजीत के स्थान पर मनजीत उपनाम मनजीत सिंह पुत्र श्री काली दास पुत्र प्रधान सिंह, निवासी गांव गदयाडा, डा0 गोलवां, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10—10—2024 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 10—09—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

—————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	दायर तिथि :
79 / ना0टी0डी0आर0 / 2024	मृत्यु पंजीकरण	02—07—2024

छपे राम पुत्र डहलू, निवासी गांव टकोली, डा0 नगवाई, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

विषय.——प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के तहत छपे राम पुत्र डहलू, निवासी गांव टकोली, डा0 नगवाईं, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) की माता की मृत्यु पंजीकरण के सम्बन्ध में इश्तहार / सूचना राजपत्र, हि0प्र0 में प्रकाशित करने बारे।

छपे राम पुत्र डहलू, निवासी गांव टकोली, डा0 नगवाईं, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) द्वारा आवेदन–पत्र, शपथ–पत्र व अन्य दस्तावेजों / रिकार्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुई है जिसमें उल्लेख है कि उसकी माता स्व0 नाथी पत्नी डहलू की मृत्यु दिनांक 01–03–1985 को हुआ है जोकि अज्ञानतावश सम्बन्धित ग्राम पंचायत नगवाईं के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में आज दिन तक दर्ज नहीं हुआ है। अतः प्रार्थी अब ग्राम पंचायत नगवाईं में अपनी माता के मृत्यु का पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

इस बारे आरंभिक छानबीन क्षेत्रीय राजस्व इकाई से करवाई गई जिसमें छपे राम पुत्र डहलू, निवासी गांव टकोली, डा0 नगवाईं, तहसील औट, जिला मण्डी की माता की मृत्यु दिनांक 01–03–1985 को होना पाई गई है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति की माता के मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत नगवाईं के रजिस्टर में दर्ज करने बारा कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 10–10–2024 को इस अदालत में प्रातः 11.00 बजे तक हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने बारे नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जाएंगे तथा बाद में किसी भी प्रकार का कोई उजर मान्य नहीं होगा।

आज दिनांक 07–09–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	दायर तिथि :
70 / ना0टी0डी0आर0 / 2024	जन्म पंजीकरण	24–06–2024

चिन्ता पुत्री फाहणू, निवासी गांव व डा0 नगवाईं, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0)

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

विषय.——प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के तहत चिन्ता पुत्री फाहणू, निवासी गांव व डा0 नगवाईं, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) के जन्म पंजीकरण के सम्बन्ध में इश्तहार / सूचना राजपत्र, हि0प्र0 में प्रकाशित करने बारे।

चिन्ता पुत्री फाहणू, निवासी गांव व डा0 नगवाईं, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) द्वारा आवेदन–पत्र, शपथ–पत्र व अन्य दस्तावेजों / रिकार्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 01–01–1975 को हुआ है जोकि अज्ञानतावश सम्बन्धित ग्राम पंचायत नगवाईं के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में आज दिन तक दर्ज नहीं हुआ है। अतः प्रार्थिया अब ग्राम पंचायत नगवाईं में अपने जन्म का पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

इस बारे आरंभिक छानबीन क्षेत्रीय राजस्व इकाई से करवाई गई जिसमें चिन्ता पुत्री फाहणू, निवासी गांव व डा0 नगवाईं, तहसील औट, जिला मण्डी का जन्म दिनांक 01–01–1975 को होना पाया गया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति के जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत भटवाडी के रजिस्टर में दर्ज करने बारा कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 10–10–2024 को इस अदालत में प्रातः 11.00 बजे तक हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने बारे नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जाएंगे तथा बाद में किसी भी प्रकार का कोई उजर मान्य नहीं होगा।

आज दिनांक 07–09–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 74 / ना0टी0डी0आर0 / 2024 आगामी पेशी : 10–10–2024

श्रीमती रंजू ठाकुर पुत्री शुकरु राम, निवासी गांव शुषण, मुहाल कोटाधार, डा0 पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) . . वादिया।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

विषय.––राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त करने बारे।

प्रार्थिया श्रीमती रंजू ठाकुर पुत्री शुकरु राम, निवासी गांव शुषण, मुहाल कोटाधार, डा0 पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने दिनांक 26–06–2024 को इस अदालत में आवेदन–पत्र गुजारा है कि उसका नाम मुहाल कोटाधार, तहसील औट के राजस्व अभिलेख में मंजू दर्ज हुआ है जबकि अन्य रिकार्ड में उसका नाम रंजू दर्ज है। प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू–राजस्व अभिलेख में उसका नाम रंजू ठाकुर उर्फ मंजू दर्ज करने हेतु आदेश पारित किए जाएं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारा कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन / वकालतन तारीख पेशी 10–10–2024 को 10.00 बजे तक कार्यालय हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। व इस सूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 07–09–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 73 / ना0टी0डी0आर0 / 2024 आगामी पेशी : 10–10–2024

श्री पवन कुमार पुत्र लुदरु राम, निवासी गांव पटोगी, मुहाल कोटाधार, डा0 पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

विषय.––राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त करने बारे।

प्रार्थी श्री पवन कुमार पुत्र लुदरु राम, निवासी गांव पटोगी, मुहाल कोटाधार, डा0 पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने दिनांक 26–06–2024 को इस अदालत में आवेदन–पत्र गुजारा है कि उसका नाम मुहाल कोटाधार, तहसील औट के राजस्व अभिलेख में पवन देव दर्ज हुआ है जबकि अन्य रिकार्ड में उसका नाम पवन कुमार दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू–राजस्व अभिलेख में उसका नाम पवन कुमार उर्फ पवन देव दर्ज करने हेतु आदेश पारित किए जाएं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारा कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन / वकालतन तारीख पेशी 10–10–2024 को 10.00 बजे तक कार्यालय हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। व इस सूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 07–09–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 12 / टी0डी0आर0 / 2024 आगामी पेशी : 10–10–2024

श्री कर्म सिंह पुत्र लोतमे राम पुत्र भोलू, निवासी गांव रेहुकली धार, डा0 कोट खमराधा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.——राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त करने बारे।

प्रार्थी श्री कर्म सिंह पुत्र लोतमे राम पुत्र भोलू, निवासी गांव रेहुकली धार, डा0 कोट खमराधा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने दिनांक 20—05—2024 को इस अदालत में आवेदन—पत्र गुजारा है कि उसका नाम मुहाल रेउकली धार, तहसील औट के राजस्व अभिलेख में रुप लाल दर्ज हुआ है जबकि अन्य रिकार्ड में उसका नाम कर्म सिंह दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू—राजस्व अभिलेख में उसका नाम कर्म सिंह उर्फ रूप लाल दर्ज करने हेतु आदेश पारित किए जाएं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारा कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन / वकालतन तारीख पेशी 10—10—2024 को 10.00 बजे तक कार्यालय हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। व इस सूरत गैरहाजिरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 07—09—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 65 / ना0टी0डी0आर0 / 2024 आगामी पेशी : 10—10—2024

मानदासी उर्फ नोखी पुत्री तुलू, निवासी गांव व मुहाल पाली, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.——राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त करने बारे।

प्रार्थिया मानदासी उर्फ नोखी पुत्री तुलू, निवासी गांव व मुहाल पाली, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने दिनांक 05—06—2024 को इस अदालत में आवेदन—पत्र गुजारा है कि उसका नाम मुहाल पाली, तहसील औट के राजस्व अभिलेख में नोखी दर्ज हुआ है जबकि अन्य रिकार्ड में उसका नाम मानदासी दर्ज है। प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू—राजस्व अभिलेख में उसका नाम मानदासी उर्फ नोखी दर्ज करने हेतु आदेश पारित किए जाएं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारा कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन / वकालतन तारीख पेशी 10—10—2024 को 10.00 बजे तक कार्यालय हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। व इस सूरत गैरहाजिरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 07–09–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 66 / ना0टी0डी0आर0 / 2024 आगामी पेशी : 10–10–2024

श्री नागिन्द्र पुत्र गंगे राम, निवासी गांव निहलू, मुहाल शारा, डा0 कोट खमराधा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

विषय.––राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त करने बारे।

प्रार्थी श्री नागिन्द्र पुत्र गंगे राम, निवासी गांव निहलू, मुहाल शारा, डा0 कोट खमराधा, तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने दिनांक 18–06–2024 को इस अदालत में आवेदन–पत्र गुजारा है कि उसका नाम मुहाल शारा, तहसील औट के राजस्व अभिलेख में नारद दर्ज हुआ है जबकि अन्य रिकार्ड में उसका नाम नागिन्द्र दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि तहसील औट, जिला मण्डी के तमाम भू–राजस्व अभिलेख में उसका नाम नागिन्द्र उर्फ नारद दर्ज करने हेतु आदेश पारित किए जाएं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारा कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन / वकालतन तारीख पेशी 10–10–2024 को 10.00 बजे तक कार्यालय हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। व इस सूरत गैरहाजिरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 07–09–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
तहसील औट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 26 IX / 2024 तारीख मरजुआ : 16–07–2024 तारीख पेशी : 14–10–2024

1. रूप राम पुत्र श्री जगत राम, निवासी गांव चैडी, डा0 क्यारकोटी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) आदि ..प्रार्थी।

बनाम

1. स्व0 श्रीमती शान्ति देवी पुत्री स्व0 सुरत राम मार्फत जायज वारसान (1) चमन लाल, (2) मदन मोहन, (3) चंद्र मोहन, (4) सुरेन्दर, (5) रोशन लाल, (6) विधा, (7) सुष्मा पुत्री / पुत्र स्व0 शान्ति देवी, निवासी गांव जडेच, डा0 व्योलिया, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 2. स्व0 दुर्गी देवी पत्नी स्व0 निका राम मार्फत जायज वारसान (1) रेणु, निवासी गांव जडेच, डा0 व्योलिया, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 3. राजेन्दर पाल पुत्र स्व0 सही राम, 4. वीना देवी पत्नी स्व0 सुरेन्दर पाल, 5. सौरव पाल पुत्र स्व0 सुरेन्दर पाल, 6. वरूण पाल पुत्र स्व0 सुरेन्दर पाल, 7 रमेश पुत्र स्व0 लच्छी राम, 8. नरेन्दर पुत्र स्व0 राम कृष्ण, 9. कल्पना पुत्री स्व0 राम कृष्ण, 10. शीला पत्नी स्व0 राम कृष्ण, 11. मनोहर सिंह पुत्र स्व. जीवा नंद उर्फ माठु, 12. स्वरूप सिंह पुत्र स्व0 जीवा नंद उर्फ माठु, 13. कमला पुत्री स्व0 जीवा नंद उर्फ माठु, 14. लीला पुत्री स्व0 जीवा नंद उर्फ माठु, 15. गौरी पुत्री स्व0 जीवा नंद उर्फ माठु, 16. रूवी पुत्री स्व0 राजेन्दर कुमार, 17. शान्ति देवी पत्नी स्व0 राजेन्दर कुमार, 18. सीमा पुत्री स्व0 मेध राम, 19. द्रौपदी पुत्री स्व0 मेद राम, 20. उमा पुत्री मेद राम, 21. प्रेम सिंह पुत्र स्व0 भुप राम उपरोक्त सभी प्रतिवादीगण निवासी गांव जडेच, डा0 व्योलिया, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 22. स्व0 विधावती पुत्री स्व0 मेहर सिंह मार्फत जायज वारसान (1) राजेन्दर, (2) कृष्णा, (3) राधा देवी, (4) संगीता, (5) वीना पुत्री / पुत्र स्व0 विधावती, निवासी गांव चैडी, डा0 क्यारकोटी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) 23. रजनीश कुमार पुत्र विशम्वर दास, 24. सरोज पत्नी देव राज, 25. राखी पत्नी देव राज, 26. सुरेन्दर मोहन पुत्र देसराज, 27. मीरा पत्नी सुन्दर, 28. विशन सिंह पुत्र स्व0 देवी सरन, 29. नरेन्दर पुत्र स्व0 जय सिंह, 30. ममता पुत्री स्व0 जय सिंह, 31. सुष्मा पुत्री स्व0 जय सिंह, 32. सत्या पत्नी स्व0 जय सिंह, 33. भानु प्रताप पुत्र स्व0 देवेन्दर, 34. भावेश पुत्र स्व0 देवेन्दर (माइनर) मार्फत माता आशा देवी पत्नी स्व0 देवेन्दर, 35. आशा पत्नी स्व0 देवेन्दर, 36. गौरी शंकर पुत्र स्व0 वालक राम, 37. कान्ता पत्नी स्व0 वालक राम, 38. अभी राम पुत्र स्व0 मेहर सिंह, 39. बिमला पुत्री स्व0 मेहर सिंह उपरोक्त सभी प्रतिवादीगण निवासी गांव चैडी, डा0 क्यारकोटी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) ...प्रतिवादीगण।

1. श्री रूप राम पुत्र श्री जगत राम, निवासी गांव चैडी, डा0 क्यारकोटी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) आदि ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत भू–विभाजन हेतु अराजी खाता / खतौनी नं0 28 / 36, कित्ता 49, रकबा 05–09–36 है0 वाका महाल चैडी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)बारे प्रस्तुत किया है। कई बार इस अदालत द्वारा समन जारी किये गये परन्तु वादीगण के मौका पर न मिलने व रिपोर्ट तामील कुनिंदा के कारण तामील न हो सकी जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण जानबूझ के उपरोक्त मुकद्दमा में पेश न हो रहा है।

अतः अदालत को विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी नं0 1 के जायज वारसान चमन लाल, मदन मोहन, चंद्र मोहन, संरेन्दर, रोशन लाल, विधा, सुष्मा पुत्र / पुत्री स्व0 शान्ति देवी प्रतिवादी संख्या 2 के जायज वारसान श्रीमती रेणु प्रतिवादी संख्या 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21 प्रतिवादी संख्या 22 के जायज वारसान राजेन्दर और श्रीमती बीना पुत्र / पुत्री स्व0 श्रीमती विधावती और प्रतिवादी संख्या 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 की तामील साधारण तरीके से होना मुश्किल है। अतः इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा भू–विभाजन बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 14–10–2024 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत कोर्ट परिसर चक्कर में आकर अपना एतराज पेश करें, अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज तारीख 25–09–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

In the Court of Sh. Bhanu Gupta (H.P.A.S.), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh

Ms. Madhu d/o Sh. Jai Singh, r/o Gulab Cottage, Shankli, Lakkar Bazar, Shimla, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

Versus

General Public .. *Respondent.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Ms. Madhu d/o Sh. Jai Singh, r/o Gulab Cottage, Shankli, Lakkar Bazar, Shimla, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of herself namely MADHU (DOB-11-10-2001) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 24th August, 2024.

Seal.

BHANU GUPTA (HPAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

In the Court of Sh. Bhanu Gupta HPAS, Sub- Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.)

1. Sh. Raj Kumar aged about 54 years s/o Late Sh. Jeet Ram, r/o Near Labour Hostel, Krishna Nagar, Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

2. Smt. Meena aged about 48 years d/o Late Sh. Prem Lal Hans, r/o #2571, Sector-38C, Chandigarh.

Versus

General Public

Subject.—*Registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.*

Sh. Raj Kumar aged about 54 years s/o Late Sh. Jeet Ram, r/o Near Labour Hostel, Krishna Nagar, Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh and Smt. Meena aged about 48 years d/o Late Sh. Prem Lal Hans, r/o #2571, Sector-38C, Chandigarh have filed an application

alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 12-10-1997 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the record of Gram Panchayat concerned/Municipal Corporation Shimla and marriage be registered under the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before 26-10-2024 after that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 27th September, 2024.

Sd/
BHANU GUPTA HPAS,
Special Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban).

ब अदालत श्री अनमोल शर्मा सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 17 / 13B/2023 तारीख दायर : 27–06–2023

राज पाल पुत्र स्व0 श्रीमती दमोदरी देवी, निवासी गांव दरकाली, डाकघर दरकाली, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त राज पाल पुत्र स्व0 श्रीमती दमोदरी देवी, निवासी गांव दरकाली, डाकघर दरकाली, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक जमाबंदी हाल खाता / खतौनी नं0 109 / 212, महाल दरकाली में खाता / खतौनी नं0 66 / 135, 64 / 131 ता 133 व 65 / 134 में वादी का नाम राजू पुत्र स्व0 श्री गोपू पुत्र स्व0 केसू दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी महाल दरकाली के कागजात माल में अपना नाम राजू पुत्र स्व0 गोपू पुत्र स्व0 केसू के स्थान पर राज पाल पुत्र श्रीमती स्व0 दमोदरी देवी पुत्री स्व0 गोपू दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 12–10–2024 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपत्ति दर्ज़ करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 13—09—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप—तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, गगरेट स्थित कलोह, उप—तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0प्र0)

श्री आर्यन भाटिया पुत्र श्री हरनाम सिंह, निवासी गांव व डा0 अम्बोटा, उप—तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय— प्रार्थना—पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री आर्यन भाटिया पुत्र श्री हरनाम सिंह, निवासी गांव व डा0 अम्बोटा, उप—तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उसकी दादी श्रीमती सत्या देवी विध्वा द्वेव राज, वासी गांव अम्बोटा की मृत्यु दिनांक 07—09—2023 को हो चुकी है परन्तु अज्ञानतावश मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत अम्बोटा के अभिलेख में नहीं हो सका है। प्रार्थी ने अपनी दादी की मृत्यु की पुष्टि बारे शपथ पत्र दिया है तथा इस कार्यालय द्वारा रिपोर्ट सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार जन्म एवं मृत्यु iathdj.k@lfpo ग्राम पंचायत अम्बोटा के अनुसार उक्त मृत्यु सम्बधित ग्राम पंचायत में दर्ज न है। अब प्रार्थी अपनी दादी की मृत्यु पंजीकृत करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार / मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त मृत्यु दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 11—10—2024 को दोपहर 2.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। गैरहाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही करके नियमानुसार सम्बधित ग्राम पंचायत को मृत्यु दर्ज करने को ओदश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 09—09—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, घनारी, तहसील घनारी, जिला ऊना (हि0प्र0)

विवाह पंजीकरण—घनारी / 2024

श्री साहिब सिंह पुत्र गुरनाम सिंह, निवासी गांव व डा0 संघनेई, तहसील घनारी, जिला ऊना (हि0प्र0)।

श्रीमती काजल पुत्री श्री मनजीत सिंह, निवासी गांव बेहड, डा0 भटेड, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) . . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय— प्रार्थना—पत्र अधीन धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उनकी शादी दिनांक 18—03—2023 को मुताबिक हिन्दू रीति—रिवाज हुई थी परन्तु अज्ञानतावश शादी का पंजीकरण सम्बन्धित ग्राम / नगर पंचायत के अभिलेख में नहीं करवा सके। प्रार्थीगण ने अपनी शादी की पुष्टि बारे शपथ पत्र व दोनों के आधार कार्ड व सम्बन्धित प्रधान / सचिव ग्राम / नगर पंचायत द्वारा जारी प्रमाण—पत्र प्रार्थना—पत्र के साथ दायर किए हैं। रिपोर्ट सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार विवाह पंजीकरण / सचिव ग्राम पंचायत / सचिव नगर पंचायत के अनुसार उक्त शादी सम्बन्धित ग्राम / नगर पंचायत में दर्ज न है। अब प्रार्थीगण अपनी शादी पंजीकृत करवाना चाहते हैं।

अतः आम जनता को इस इश्तहार / मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 24—10—2024 को दोपहर 2.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही करके नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम / नगर पंचायत को शादी दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18—09—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
घनारी, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख पेशी :
28 / Corr. / T/U / 2024	नाम दुरुस्ती	22—10—2024

मनीष राये़जादा पुत्र वलराम, वासी जनकौर, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

प्रार्थना पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी मनीष राये़जादा पुत्र वलराम, वासी जनकौर, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल जनकौर हार में मनीष कुमार राये़जादा पुत्र वलराम दर्ज है जबकि उसका सही नाम मनीष राये़जादा पुत्र वलराम है लिहाजा इसे दुरुस्त करके मनीष कुमार राये़जादा उर्फ मनीष राये़जादा पुत्र वलराम किया जाए। प्रार्थी का शपथ पत्र, आधार कार्ड, नकल जमाबन्दी तथा अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न हैं।

अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक तारीख पेशी 22—10—2024 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्ती करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 16—09—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ईसपुर, जिला ऊना (हि0प्र0)

जगदीश राम पुत्र श्री सुरेश कुमार पुत्र बिधी चन्द, वासी गांव ईसपुर, उप—तहसील ईसपुर, जिला ऊना

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एंव मृत्यु रजिस्ट्रीकरण एक्ट, 1969.

श्री सुरेश कुमार ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसके पुत्र श्री जगदीश राम, वासी गांव ईसपुर, उप—तहसील ईसपुर, जिला ऊना की मृत्यु की तिथि 29—08—2021 है लेकिन उसकी मृत्यु की तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17—12—2024 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त व्यक्ति की मृत्यु तिथि को दर्ज बरने बारे आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23—09—2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
नायब तहसीदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ईसपुर, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय वर्ग, उप—तहसील ईसपुर, जिला ऊना (हि0प्र0)

क्रमांक : 1445 / रीडर दिनांक : 23—09—2024

सन्तोष देवी पत्नी श्री सरवन कुमार पुत्र राम रखा, गांव व डा0 टक्का, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड महाल भदसाली हार उप–तहसील ईसपुर, जिला ऊना खेबट नं0 645, खतौनी नं0 718, खसरा नं0 693, 693/1, कित्ता 2 नकल जमाबन्दी वर्ष 1019–20 उप–तहसील ईसपुर, जिला ऊना, हि0 प्र0।

सन्तोष देवी पत्नी श्री सरवन कुमार पुत्र राम रखा, गांव व डा0 टक्का, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड में उसका नाम सन्तोष कुमारी पत्नी श्री सरवन कुमार पुत्र राम रखा, गांव व डा0 टक्का गलत दर्ज हुआ है जिसकी दुरुस्ती करके राजस्व रिकार्ड महाल भदसाली में उसका नाम सन्तोष देवी पत्नी श्री सरवन कुमार राम दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्ती बारे कोई आपति हो तो वह उजर लिखित य मौखिक तौर पर इस न्यायालय में तारीख पेशी 17–12–2024 को प्रातः 10.00 बजे से लेकर 5.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी तक उजर प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत ना होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय वर्ग,
उप–तहसील ईसपुर, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Meena Chauhan w/o Sh. Birbal Chauhan, r/o Parmod Building, Vijay Nagar, Totu, Near Thapa Building, Tehsil and Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my son's name from Vyas Chauhan to Byas Chauhan. All concerned please may note.

MEENA CHAUHAN
w/o Sh. Birbal Chauhan,
r/o Parmod Building, Vijay Nagar, Totu,
Near Thapa Building, Tehsil and Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Krishni Devi w/o Narender Kumar, r/o Village Sayar, P.O. Dboha, Tehsil Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.) declare that my name wrongly entered as Nisha Devi in my Aadhar card instead my correct name is Krishni Devi. Concerned note.

KRISHNI DEVI
w/o Narender Kumar,
r/o Village Sayar, P.O. Dboha,
Tehsil Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Pawan Kumar s/o Sh. Roshan Lal, r/o Village Lahar Kotlu, P.O. Sudhial, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Ganesh to Ayush Kondal for all purposes in future. Please note.

PAWAN KUMAR
s/o Sh. Roshan Lal,
r/o Village Lahar Kotlu,
P.O. Sudhial, Tehsil Nadaun,
District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kulwinder Singh Dehal s/o Sh. Piar Chand, r/o Vill. Gauta, P.O. Ukhli, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Kulwinder to Kulwinder Singh Dehal. All concerned please may note.

KULWINDER SINGH DEHAL
s/o Sh. Piar Chand,
r/o Vill. Gauta, P.O. Ukhli,
Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sonia Bhardwaj w/o Sh. Vijay Kumar Bhardwaj, r/o Village Jol Plakhin, P.O. Kuthera, Tehsil Ghumarwin, Distt. Bilaspur (H.P.) declare that my name wrongly entered as Baggo Devi in record of Aadhar Card No. 2944 5798 7962 instead my correct name is Sonia Bhardwaj. All concerned note.

SONIA BHARDWAJ
w/o Sh. Vijay Kumar Bhardwaj,
r/o Village Jol Plakhin, P.O. Kuthera,
Tehsil Ghumarwin, Distt. Bilaspur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sanjeev Kumar s/o Sh. Bidhi Chand, r/o Village Kot, Ward No. 4, P.O. & Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Jihan Sethi to Bhavyansh Sethi for all purposes in future. Please note.

SANJEEV KUMAR
s/o Sh. Bidhi Chand,
r/o Village Kot, Ward No. 4,
P.O. & Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Raghuveer Singh s/o Sh. Ram Dittu, r/o Village Dhanoa, P.O. Dhaneta, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) have changed my name from Raghu Nath to Raghuveer Singh for all purposes in future. Please note.

RAGHUVEER SINGH
s/o Sh. Ram Dittu,
r/o Village Dhanoa, P.O. Dhaneta,
Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, No. 117054H, Ex. RPO Rajeev Kumar s/o Sh. Badan Singh, r/o V.P.O. Beha, Sub-Tehsil Kangoo, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) declare that in my Naval record my mother's name wrongly entered as Sarla Devi, wheres her correct name is Swarni Devi. Please note.

RAJEEV KUMAR
s/o Sh. Badan Singh,
r/o V.P.O. Beha, Sub-Tehsil Kangoo,
Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।